छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 13/01/2014

क्रमांक एफ 10–2/2014/16 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 एवं 12 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय विभाग जिनमें विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य स्वयं अथवा ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाते हैं, निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश जारी करने के पूर्व अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्माण कार्य कराने वाले स्थापना का पंजीयन कराया जावेगा तथा अधिनियम की धारा 12 के तहत शासकीय विभागों द्वारा निर्माण कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग अथवा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक होगा ।

(ब) प्रदेश के समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, एवं ग्राम पंचायत प्रत्येक प्रकार के निर्माण कार्यों के नक्शा अनुमोदन के पूर्व भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 7 के तहत निर्माण कार्य करने वाले निर्माता अथवा ठेकेदार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 7 के तहत श्रम विभाग अथवा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल कार्यालय से कराये गये पंजीयन की प्रति जमा करवायेगा तथा उसके अधीनस्थ कार्य करने वाले निर्माण मजदूरों का उक्त अधिनियम 1996 की धारा 12 के तहत श्रम विभाग अथवा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल कार्यालय से पंजीयन करवाये जाने संबंधी अभिलेख जमा करवायेगा ।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

आवक क्रमांक 392
दिनांक 20/1/14

निरंतर../2/

D:\Peter Minj\aadesh.doc